न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 13/2016

उनवान

1. चन्द्रा,
2. उंकार,
3. पूसी पि0 हमीरा जाति गुर्जर नि0 लवेरा, नसीराबाद

—— वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. इब्राहिम मोहम्मद पुत्र गफूर मोहम्मद फौत जरियें वारिसान
1/1. गफूरन पत्नी इब्राहिम
1/2. मीरा पत्नी इब्राहिम
1/3. नजमा पुत्री इब्राहिम
1/4. साहिद अली पुत्र इब्राहिम
1/5. शाहनवाज पुत्र इब्राहिम
1/6. शरीफ ना.बा पुत्र इब्राहिम
1/7. नगमा बानो ना.बा. पुत्री इब्राहिम जरियें संरक्षिका माता समस्त जाति मुसलमान नि. सोमलपुर तह. व जिला अजमेर,
2. ट्रस्ट आदि वेलफेयर टस्ट पंजीकृत कार्यालय 101 गगनदीप बिल्डिगं 12 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली जरियें प्रतिनिधि सुरेन्द्र कुमार पुत्र चरणदास, सैनी ग्राम पोस्ट भरथ काजी चक तहसील व जिला गुरूदासपुरा
3. उप पंजीयक अधिकारी नसीराबाद,
4. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 3 व 4 जरियें राज0 पैरोकार, शेष अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 26.12.24

वादीगण ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लवेरा के हाल खसरा नम्बर 639 रकबा 0.82 की आराजी वादीगण की खातेदारी की है। उक्त आराजी पर वादीगण वर्षो से काबिज काश्त चले आ रहे है। तथा उपयोग—उपभोग कर अपने परिवार का पालन पोषण करते है। आरा[illegible] कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि भूमाफिया व दल[illegible] द्वारा दिनांक 22.04.2013 को आराजी मुतनाजा का फर्जी व कूटरचि[illegible] 2 के पक्ष में निष्पादित करवाया गया। उक्त विक्रय पत्र वादी[illegible] बअसर व शून्य है। [illegible] फर्जी विक्रय पत्र के विरूद्ध पुलिस थाना श्रीनगर में मुकदमा [illegible]र्गत धारा 420, 467, [illegible]0 बी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:08:50 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर गिरफतार की कार्यवाही की गयी। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादीगण आराजी मुतननाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का विक्रय पत्र शून्य घोषित कर प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे। इस आशय की आज्ञप्ति बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण जारी की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा है। वादी ने अपने अनुतोष में विक्रय पत्र दिनांक 22.04.2013 को शून्य घोषित करने का अनुतोष मांगा है, जो न्यायालय को श्रेत्राधिकार नही है। विक्रय विलेख को शून्य घोषित करने का श्रेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। अतः वाद खारिज किया जावे।

प्रकरण में वाद व जवाब के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गयी :—

1. आया वादग्रस्त आराजी का बैचान फर्जी व कूटरचित होने से वादी विक्रय पत्र शून्य घोषित करवाने का अधिकारी है?

—— वादी

2 आया प्रतिवादी बिना किसी अधिकार के आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है अतः वादी विरूद्व प्रतिवादी स्थायी निषेघाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

—— वादी

3. अन्य अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये तथा जाहिर किया कि उनके द्वारा प्रकरण में मात्र स्थायी निषेघाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है, व साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया।

वाद विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु होने पर उसके वारिस रिकार्ड पर लिये गये तथा प्रतिवादी अनुपस्थित होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :—

तनकी संख्या 1:—

ग्राम लवेरा के हाल खसरा नम्बर 485, 486, 488, 416, 417, 418, 487 रकबा कमशः 0.23, 0.27, 0.20, 0.28, 0.23, 0.18, 0.02 की आराजी हाल राजस्व अभिलेख में वादीगण की खातेदारी की है। उक्त आराजी जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.04.2013 को वादीगण के पावॅर होल्डर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को बैचान की गयी है। वादीगण द्वारा उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 का पेश कर आराजी मुतनाजा का विक्रय पत्र शून्य घोषित कर प्रतिवादीगण को पाबंद करने का अनुतोष चाहा है। वाद विचारण के दौसन अधिवक्ता वादीगण ने जाहिर किया कि उन्हे प्रकरण में धारा 188 का अनुतोष ही चाहिये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया। वादीगण ने अपने वाद में कथन किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 जो कि भूमाफिया व दलाल है के द्वारा दिनांक 26.11. 2012 को आराजी मुतनाजा का फर्जी व कूटरचित शून्य बैनामा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित करवाया गया। उक्त [illegible] पर बातिल बेअसर व शून्य है। उक्त फर्जी विक्रय पत्र के विरूद्व पुलिस था[illegible] में मुकदमा अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 120 बी भारतीय दण्ड स[illegible] की कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाब में क[illegible] ने अपने अनुतोष में विक्रय पत्र दिनांक 22.04.2013 को शून्य घोषित करने का अनुतोष म[illegible] है, जो न्यायालय को श्रेत्राधिकार नही

——3

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:08:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

है। विक्रय विलेख को शून्य घोषित करने का श्रेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। प्रकरण में विक्रय पत्र का नामान्तकरण केता के नाम दर्ज नही हुआ है। केता/प्रतिवादी ने उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण की कांई कार्यवाही नही की है ना ही प्रकरण में खातेदारी के लिये जवाब के साथ प्रतिदावा पेश किया है। राजस्व अभिलेख में आराजी मुतननाजा वादीगण के नाम दर्ज है। वादीगण ने प्रकरण में मात्र धारा 188 राज. काश्त. अधि. 1955 का अनुतोष के लिये निवेदन किया है। विक्रय पत्र शून्य घोषित करने हेतु कोई अनुतोष नही चाहने बाबत निवेदन किया है। वादीगण द्वारा हाजा न्यायालय में उक्त वाद पेश करने पर श्रेत्राधिकार के अभाव में वाद पुनः लौटाया गया था किन्तु माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 08.01.2016 में यह माना है कि वादीगण ने अपने वाद में स्थायी निषेघाज्ञा का अनुतोष भी चाहा है। प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त तनकी कायम की गयी। प्रतिवादी जवाब पेश करने के बाद प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। उभयपक्ष के मध्य निर्विवाद रूप से विक्रय पत्र बाबत फौजदारी प्रकरण विचाराधीन है। किन्तु वादीगण आज रिकार्डेड खातेदार होने के कारण स्थायी निषेघाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। तनकी आंशिक रूप से बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :–

तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार आराजी मुतनाजा के पंजीकृत विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने का श्रेत्राधिकार हाजा न्यायालय को नही है। आराजी मुतनाजा के उक्त विक्रय पत्र का नामान्तकरण केता के नाम नही हुआ है। उक्त विक्रय पत्र फर्जी व कूटरचित है इसका निर्धारण करने का श्रेत्राधिकार नही है। वादीगण रिकार्ड में खातेदार दर्ज है। वादीगण ने वाद में धारा 88 का अनुतोष नही चाहकर मात्र धारा 188 का अनुतोष भी चाहा है। साथ ही वादीगण ने वाद विचारण के दौरान मात्र धारा 188 का अनुतोष ही दिये जाने का निवेदन किया है। तनकी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

अतः ग्राम लवेरा के हाल खसरा नम्बर 639 रकबा 0.82 की आराजी पर वादीगण का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता है आराजी मुतनाजा पर वाादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:08:50 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

चन्द्रा बनाम इब्राहिम

दावा बाबत :– 88, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 13/2016
पेश करने की दिनांक – 19.01.2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम लवेरा के हाल खसरा नम्बर 639 रकबा 0.82 की आराजी पर वादीगण का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता है आराजी मुतनाजा पर वाादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक की अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांकमाह 26.12.24 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:08:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद